भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3135

उत्तर देने की तारीखः 22.0**3**.201**8**

दूरस्थ इंजीनियरी प्रोग्राम के आयोजन के लिए यूजीसी का प्रावधान

3135. श्री रंजिब बिस्वालः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आवश्यक स्वीकृतियों के बिना दूरस्थ इंजीनियरी प्रोग्राम के आयोजन के लिए कुछ संस्थानों को अनुमोदन दिया था;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;**

**(ग) क्या सरकार ने यूजीसी के उपर्युक्त कदम की जांच करने तथा सम-विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए तरीके सुझाने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था;**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ङ) क्या समिति को सुदृढ़ीकरण के लिए रूपरेखा का सुझाव देने तथा निरीक्षण एवं विनियमन तंत्र स्थापित करने के लिए भी कहा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्‍न नही उठता।

(ग) से (ड़): माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के दिनांक 3.11.2017 के निर्णय के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इस मामले में तीन सदस्‍यीय समिति गठित की है। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्‍य बातों के साथ-साथ उच्‍च शैक्षिक संस्‍थाओं द्वारा दूरस्‍थ और सम विश्‍वविद्यालयों के लिए विनियामक तंत्र के सुदृढ़ीकरण सहित विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और उसके संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित प्रदान की जाने वाली दूरस्‍थ शिक्षा के सभी मुद्दों की जांच करना है।